13/33

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

२०००० रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

406631

23 APR 2009

मोहनलालगंज
24.7.09

विक्रय मूल्य रु0-17,06,000/-
मालियत रु0-14,61,600/-
जनरल स्टाम्प रु0-1,19,500/-
परगना - मोहनलालगंज
विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है।

बयनामा

भूमि का प्रकारः - कृषि आराजी

परगनाः - मोहनलालगंज

ग्राम - पुरसेनी

Meena Singh

राज रानी

भारतीय गैर न्यायिक
Rs 20000 रु
बीस हज़ार रुपये
RUPEES
20000
रुपये
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

406632

23 APR 2019

-2-

सम्पत्ति का विवरण-	-	खसरा संख्या-412, 413
मापन की इकाई	-	हेक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल-	-	1.2180 हेक्टेयर
सड़क की स्थिति :	-	रायबरेली रोड से 100 मीटर से अधिक दूर।
सम्पत्ति का प्रकार-	-	कृषि आराजी

<u>चौहद्दी खसरा संख्या-412</u>

पूरब:	-	खसरा संख्या-419
पश्चिम:	-	खसरा संख्या-393, 394, 402
उत्तर:	-	खसरा संख्या-410, 411
दक्षिण:	-	खसरा संख्या-413

राज रानी   Meena Singh

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक 26.5.9

रु 200/-

नाम - साई ...

द्वारा

सहा. कोषाधिकारी

मुख्य कोषाधिकारी

विक्रय 1706000/- मालि. 1461600/-

नि.शु. प्र.श. प्र.शु. योग ...

85001/- 20/- 20/- 85401/- 1700

श्री/श्रीमती राजरानी W/o ... पाल सिंह

पेशा गृहणी निवासी ... कालोनी ... लखनऊ

यह लेख पत्र ... लखनऊ में आज दिनांक 6.6.09 समय 5 बजे ... प्रस्तुत किया।

6.6.09

राजरानी

निष्पादन लेख पत्र वाद सुनने व मजमून प्राप्त धन रुपया 1706000/- प्रलेखानुसार उक्त श्री राजरानी ... ने निष्पादन से साई ... मंगलम अपार्टमेंट-2 ... मीना सिंह W/o श्री ... सिंह ... ने भी स्वीकार किया

आदर्श कोषागार, [illegible]

दिनांक 26.5.9

[illegible] कोषागार [illegible]

नाम आई [illegible]

द्वारा

सहा० कोषाधिकारी   [illegible]

जिनकी पहचान श्री आर० पी० सिंह

पुत्र श्री आर० बी० सिंह [illegible]

निवासी [illegible]

व श्री ओ० के० तिवारी [illegible]

द्वारा [illegible]

[illegible] मोहल्ला [illegible]

राज रानी   Meena Singh

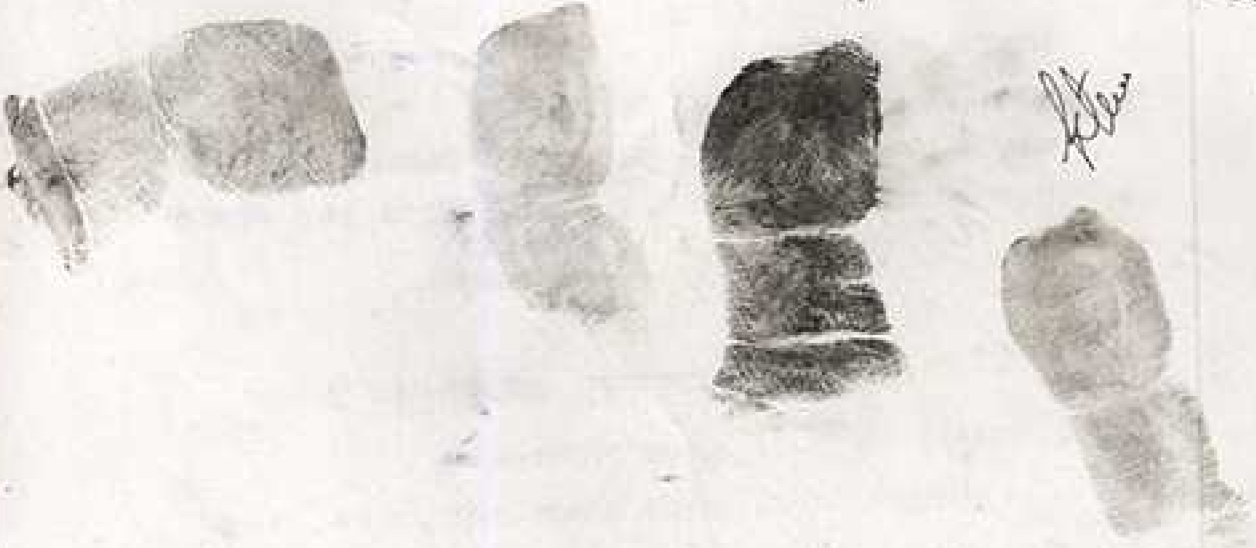

प्रत्यक्षतः मद साक्षियों के निशान अंगूठा नियमानुसार लिये गये हैं।

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

406633

चौहद्दी खसरा संख्या-413

पूरबः	-	खसरा संख्या-418,419,420
पश्चिमः	-	खसरा संख्या-393,402
उत्तरः	-	खसरा संख्या-412
दक्षिणः	-	खसरा संख्या-414

श्रीमती राजरानी पत्नी स्व0 विष्णु पाल सिंह निवासिनी ग्राम गोपाल खेड़ा, मजरा पुरसेनी, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ।

...........विक्रेता

राज रानी

Meena Singh

आदर्श कोषागार, इलाहाबाद

दिनांक 26.5.[illegible]

मूल्य 20.[illegible] अंकन रुपये

नाम [illegible]

द्वारा

[illegible] पेशकार [illegible]

मुख्य कोषाधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

406634

23 APR 2009

सॉई बद्रिका ट्रस्ट 9 मंगलारम्भ अपार्टमेन्ट 1, कबीर मार्ग, लखनऊ द्वारा प्रेसिडेन्ट **श्रीमती मीना सिंह** पत्नी श्री ए0के0 सिंह।

.... क्रेता

जो कि भूमि खसरा संख्या-412 रकबा 0.4440 हेक्टेयर व खसरा संख्या 413 रकबा 0.7740 हेक्टेयर कुल दो किता कुल रकबा 1.2180 हेक्टेयर स्थित ग्राम पुरसेनी, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ जिसका कि विक्रेता उपरोक्त मालिक कामिल व काबिज है। उक्त

राजरानी

Meena Singh

आदर्श कोषागार, लखनऊ

........................26-5-9........................

दिनांक ....

कुल .... रुपये मात्र

नाम ....

द्वारा ....

सहायक कोषाधिकारी   कोषाधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु.

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

406635

23 APR 2019

भूमि पैतृक है तथा राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधरी में विक्रेता का नाम दर्ज है। उक्त आराजी समस्त प्रकार के भारों व विवादों अजकिस्म रेहन, बय, हिबा, जमानत, कुर्की, मुकदमा आदि से पूर्णतया बरी व पाक साफ है जिसको विक्रय आदि करने का विक्रेता को मालिकाना हक हासिल है। अब विक्रेता ने बज़रूरत खुद खूब सोच व समझ कर प्रसन्न चित्त मन से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के, अपने पूर्ण होशो हवास में उसी आराजी को बिलएवज मुबलिग रुपये 17,06,000/- (सत्रह लाख छः हजार रुपये) जिसके

राज रानी

Meena Singh

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक 26-5-

कुल 22015 धनराश ...

नाम ...

द्वारा ...

सहायक कोषाधिकारी   कोषाधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 828536

आधे रुपये ८,५३,०००/- (आठ लाख तिरपन हजार रुपये) होते हैं, में बदस्त **सॉई बद्रिका ट्रस्ट ९ मंगलारम्भ अपार्टमेन्ट 1, कबीर मार्ग, लखनऊ** द्वारा प्रेसिडेन्ट **श्रीमती मीना सिंह** पत्नी श्री ए०के० सिंह को बय कतई किया यानी बेच दिया और कुल विक्रय धनराशि अन्त में दिये गये विवरण के अनुसार क्रेता से वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना आराजी विक्री शुदा पर आज से बजाय अपने क्रेता का बखूबी करा दिया। अब विक्रेता या उनके

राज रानी

Meena Singh

1618

[illegible] 18-5-2009

[illegible]

[illegible] की [illegible]

बी० के० [illegible] -34

ला० की अवधि-31-[illegible]-2010 तक [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 828335

17 MAY 2009

वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा विक्रीशुदा आराजी में शेष नहीं रहा। अब अगर कोई दीगर शख्स अपना हक या दावा करे तो दावा उसका बातिल व नाजायज करार दिया जावे और अगर किसी शख्स की दावेदारी या हकदारी या उज्रदारी से आराजी विक्रीशुदा क्रेता के कब्जे से निकल जावे या कब्जा न रहे या मिल्कियत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जाय या अन्य किसी प्रकार से विवादित या भार ग्रसित पायी जाय तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता व उनके वारिसान व कायम मुकामान

राज रानी

Meena Singh

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 828537

को हक हासिल होगा कि वह अपना कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा व खर्चा के विक्रेता या उनके वारिसान व कायम मुकामान की दीगर जायदाद चल व अचल से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे कोई उज्र नहीं होगा। विक्रीशुदा आराजी को क्रेता कागजात सरकारी में अपने नाम दर्ज करवा लेवें कोई उज्र नहीं होगा।

विक्रीशुदा आराजी कृषि आराजी है जिसकी बाजारी मालियत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ द्वारा

राज रानी

Meena Singh

1020

क्रम संख्या 10

स्टाम्प तिथि 5 2009

स्टाम्प क्रेता का [illegible]

स्टाम्प क्रेता का [illegible]

स्टाम्प की धनराशि ....

डी० के० दीक्षित ला०नं०-36

ला० की अवधि-31-3-2010 लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 372193

08 APR 2009

निर्धारित वर्तमान दर रूपये 12,00,000/- प्रति हेक्टेयर की दर से विक्रीशुदा आराजी रकबा 1.2180 हेक्टेयर भूमि की मालियत रूपये 14,61,600/- होती है जो कि विक्रय मूल्य से कम है इसलिये विक्रय मूल्य पर संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या स0 वि0 क0 नि0 -5-2756/ 11/ 2008- 500 (165) 2007 दिनांक 30.6.2008 के अनुसार नियमानुसार जनरल स्टाम्प

राजरानी

Meena Singh

क्रम संख्या 4151
स्टाम्प विक्रय की तिथि 06-05-09
स्टाम्प क्रेता का नाम रवि
स्टाम्प क्रेता के पिता व पूरा पता [illegible] लखनऊ
स्टाम्प की धनराशि 1000
कमरुल हसन, स्टाम्प विक्रेता
कलक्टरेट कोर्ट, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 372195

7 प्रतिशत के हिसाब से रुपये 1,19,500/- का अदा किया गया है।

विक्रीशुदा आराजी का भू उपयोग कृषि है तथा कृषि कार्य के लिये ही क्रय विक्रय की जा रही है। आराजी विक्रीशुदा किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग, जनपदीय रोड, लिंक रोड के किनारे स्थित नहीं है आराजी विक्रीशुदा पर कोई भी

राज रानी

Meena Singh

क्रम संख्या 4145

स्टाम्प विक्रय की तिथि 06-05-09

स्टाम्प क्रय करने वाले का नाम राजी

स्टाम्प क्रय का पता [illegible]

स्टाम्प की धनराशि 1000/- रु०

कमरुल हसन, स्टाम्प विक्रेता

कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 323860

पेड़, बाग, बगीचा, ट्यूबवेल, निर्माण, कुआं आदि नहीं है आराजी नगर निगम सीमा से बाहर स्थित है। विक्रीशुदा आराजी के 200 मीटर त्रिज्या में कोई आबादी नहीं है। उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद द्वारा या अन्य किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी योजना में अधिगृहीत नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति या

राज रानी

Meena Singh

क्रमांक संख्या 1806

स्टाम्प विक्रय की तिथि .... 13/5/..

प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ....

....

स्टाम्प की धनराशि ....

एस० दीक्षित ला० नं० 105

ला० की अवधि 31-03-2013 जिला सदर लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T.R.Y. L.K.O.
कोषागार लखनऊ
13 MAY 2009
व. को. अ/कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ
T.R.Y. L.K.O.

अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही है। विक्रेता व क्रेता का स्थाई व अस्थाई पता उपरोक्त ही है। विक्रीशुदा आराजी मुख्य सड़क रायबरेली रोड से 100 मीटर से भी अधिक दूर है तथा रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर से अधिक दूर है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में विक्रेता या क्रेता के मध्य कोई पंजीकृत अनुबन्ध पत्र नहीं किया गया है।

राजरानी

Meena Singh

क्रम संख्या 1799
स्टाम्प विक्रय की तिथि 13/5/19
प्रयोजन ....
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ....
....
स्टाम्प की धनराशि 1000
एस० दीक्षित ला० नं० 17
वैध अवधि 31-03-2013 विक्रेता नगर

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 104455
लखनऊ कोषागार से जारी
23 MAY 2009
स. को. अ./कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ
LKO. TRY.

लिहाजा यह विक्रय विलेख कतई बहक केता उक्त के निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

विवरण आराजी विक्रीशुदा

भूमि खसरा संख्या-412 रकबा 0.4440 हेक्टेयर व खसरा संख्या 413 रकबा 0.7740 हेक्टेयर कुल दो किता कुल रकबा 1.2180 हेक्टेयर स्थित ग्राम पुरसेनी, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ।

राज रानी

Meena Singh

दिनांक 30.5.9

तफसील वसूलयाबी विक्रय धनराशि

कुल विक्रय मूल्य रुपये 17,06,000/- (सोलह लाख तिहत्तर हजार रुपये) जरिये चेक संख्या 791486 दि0 5-6-2009 यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा हजरतगंज, लखनऊ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी पाना शेष नहीं रहा।

विक्रेता व क्रेता के फोटो अजीत सिंह मौर्या एडवोकेट द्वारा प्रमाणित किये गये हैं।

लखनऊ :

दिनांक : 6-6-2009

गवाह 1-

आर0 पी0 सिंह
पुत्र श्री आर0बी0 सिंह
पता- जे-349, आशियाना,
लखनऊ।

गवाह 2-

जे0 के0 तिवारी
पुत्र श्री कृष्णदत्त तिवारी
पता- एल-1-10, सेक्टर-एफ
ए0डी0ए0 कालोनी,
कानपुर रोड योजना, लखनऊ।

विक्रेता

राज रानी

क्रेता

Meena Singh

टाईपकर्ता

(ए0आर0वर्मा)
जिला कचहरी लखनऊ ।

मसविदाकर्ता

(अजीत सिंह मौर्या)
एडवोकेट
कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ।

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए,के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता– **श्रीमती राजरानी** पत्नी स्व0 विष्णु पाल सिंह निवासिनी ग्राम गोपाल खेड़ा, मजरा पुरसैनी, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ

। बांये हाथ की अंगु लियों के चिन्हः–

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्हः–

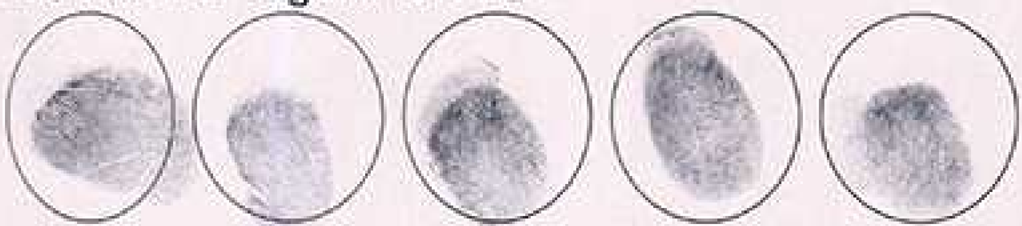

राज रानी

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पताः– **सॉई बद्रिका ट्रस्ट 9 मंगलारम्भ अपार्टमेन्ट 1, कबीर मार्ग, लखनऊ** द्वारा प्रेसिडेन्ट **श्रीमती मीना सिंह** पत्नी श्री ए0के0 सिंह

बांये हाथ की अंगुलियों के चिन्हः–

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्हः–

क्रेता के हस्ताक्षर

Meena Singh

नक्शा नजरी

भूमि विक्रीत आराजी खसरा सं0- ......412, 413... स्थित ग्राम ...पुरसैनी...
परगना ...मोहनलालगंज... तहसील ...मोहनलालगंज... जिला लखनऊ।

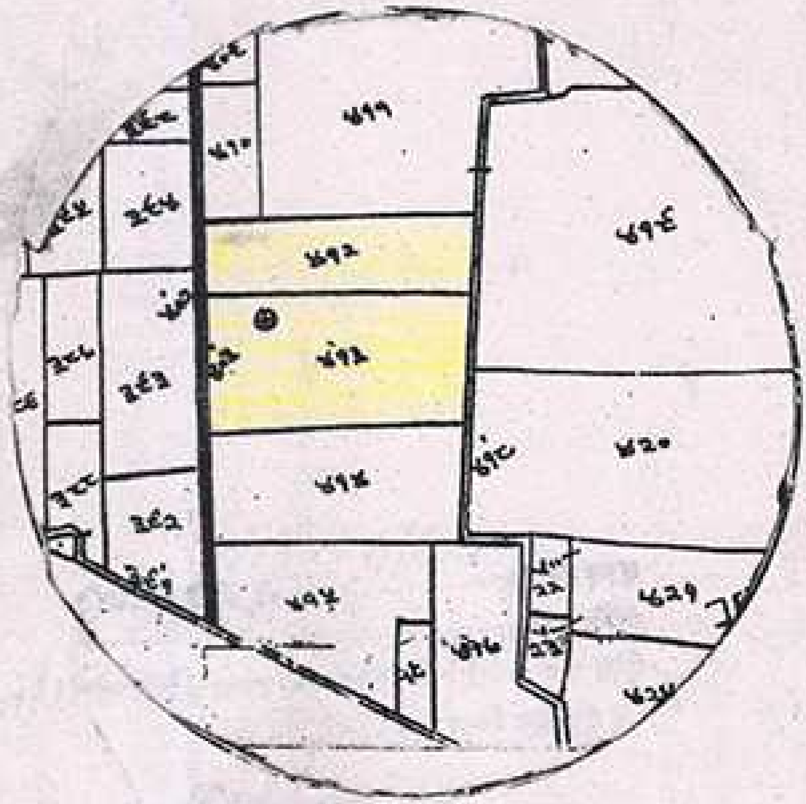

राज रानी
हस्ताक्षर विक्रेता

Meena Singh
हस्ताक्षर क्रेता

छाप दिनांक .... [illegible] .... [illegible]

रसीद संख्या .... [illegible] .... रकम .... [illegible]

मूल्य .... [illegible] .... दर्ज नंबर .... [illegible]

पर पंजीकृत किया गया।

उप निबन्धक [illegible]

[illegible]

…क्रमांक : 39030600301 ग्राम का नाम : पुरसेनी परगना मोहनलालगंज तहसील : मोहनलालगंज

…द : लखनऊ फसली वर्ष : 1415-1420 भाग : 1

खाते की संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संदर्भ उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	----------	2	----------	3	4	5	6	7-12	13
…: 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
…1	श्रीमती राजरानी	पत्नी विष्णु पाल सिंह	नि.गोपालखेड़ा म. ग्राम	1396फ.	131	0.5210		1417फ./ आदेश तहसीलदार मोहनलालगंज पार	
				1396फ.	370द	0.0340		संख्या1450/08-09/24.7.09खाता संख्या 817गाटा	
				1396फ.	412	0.4440		संख्या 412/0.444 ,413/0.774व.गा.60द से	
				1396फ.	413	0.7740		श्रीमती राजरानी पत्नी स्व.विष्णुपाल सिंह नि.	
				1396फ.	733द	0.0220		गोपाल खेड़ा म.पुरसेनी का नाम पृथक करके	
				1396फ.	964	0.3560			
								लॉर्ड बुद्धा ट्रस्ट 9 गंगालय अपार्टमेन्ट1 कबीर मार्ग लखनऊ द्वारा प्रेसिडेन्ट श्रीमती मीना सिंह पत्नी श्री ए.के.सिंह का नाम बतौर सं.भू द्वारा बैनामा दिनांक 8.6.09अंकित हो.प्र.रा.क./26.8.09	
				कुल गाटे :	6	कुल क्षे : 2.1510		99.00	

हस्ताक्षर

लखनऊ

…Aug-09